

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक - 2409

दिनांक- 02.08.2024


- संशोधित कार्यालय आदेश -

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बीएनएसएस (176 द.प्र.सं.) ड्यूटी-अगस्त, 2024)

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश (रिमाण्ड ड्यूटी-अगस्त, 2024) क्रमांक 2371 दिनांक 30.07.2024 में आंशिक परिवर्तन करते हुए संशोधित आदेश निम्न प्रकार पारित किया जाता है कि -

1. उक्त कार्यालय आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री विजय कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर-द्वितीय की दिनांक 04.08.2024 को एवं श्रीमती कल्पना पारीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम), जयपुर महानगर-द्वितीय की दिनांक 09.08.2024 को आवश्यक फौजदारी कार्यों हेतु लगायी गयी रिमाण्ड ड्यूटी उनके द्वारा परस्पर ड्यूटी परिवर्तित किये जाने की सहमति के आधार पर निरस्त की जाती है।
2. दिनांक 04.08.2024 एवं 09.08.2024 को उक्त दोनों पीठासीन अधिकारी की राजकीय अवकाशों में आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु ड्यूटी निम्नप्रकार लगायी जाती है।

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04.08.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम), जयपुर महानगर-द्वितीय	श्रीमती कल्पना पारीक, 8114431841
2	09.08.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री विजय कुमार, 9007993777



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक - 2410 - 2421

दिनांक - 02.08.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
5. पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम)/कम 05, जयपुर महानगर-द्वितीय।
7. सहायक निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर।
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट, जयपुर महानगर।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की साईट पर नियमानुसार अविलम्ब अपलोड किया जावे।
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय